

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2023—चैत्र 30, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

#### शुद्धिपत्र

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (19).—इस विभाग की, दिनांक 29 मार्च 2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 109 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (05), के पृष्ठ 218 पर शब्द “परियोजनाओं” के पश्चात् शब्द व चिन्ह “में,” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (19), दिनांक 20 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> April 2023

#### CORRIGENDUM

No. F B-04-07-2018-02-V (19).—In the Notification No. F B-04-07-2018-02-V(05) of this Department, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 109, dated 29<sup>th</sup> March, 2023 at the page No. 218 (1), for the words and figure "sub section 9" the words and figure "of section 9" be deemed to have been substituted and read accordingly.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> April 2023

#### CORRIGENDUM

No. F B-04-07-2018-02-V (20).—In the Notification No. F B-04-07-2018-02-V(04) of this Department, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 109, dated 29<sup>th</sup> March, 2023 at the page No. 218 :—

- (i) For the words and figure "sub section 9" the words and figure "of section 9" be deemed to have been substituted and read accordingly.
- (ii) For the brackets, letters and figure "6(b) (i)" the brackets, letters and figure "6(d) (i)" be deemed to have been substituted and read accordingly.
- (iii) For the words "jointly or severally" the words and sign "jointly or severally," be deemed to have been substituted and read accordingly.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

#### शुद्धिपत्र

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (21).—इस विभाग की, दिनांक 29 मार्च 2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 109 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (03), के पृष्ठ क्रमांक 217 पर शब्द “प्रतिभूति” के स्थान पर शब्द “प्रतिभूत” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. एफ बी-04-07-2018-2-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2018-2-पांच (21), दिनांक 20 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 20<sup>th</sup> April 2023

#### CORRIGENDUM

No. F B-04-07-2018-02-V (21).—In the Notification No. F B-04-07-2018-02-V (03) of this Department, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 109, dated 29<sup>th</sup> March, 2023 at the page No. 217, for the words and figure "sub section 9" the words and figure "of section 9" be deemed to have been substituted and read accordingly.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.